779
12/12/12

खण्ड-11 संख्या-18

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(कार्यवाही भाग-2, प्रश्नोत्तररहित)

सत्यमेव जयते

बुधवार

तिथि 28 जुलाई, 1993 ई०

श्री उपेन्द्रनाथ दास : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि संथालपरगना और छोटानागपुर के झारखंड मसले पर इसकी बैठक बुलानी चाहिए और उसमें छोटानगपुर और संथलपरगन के जितने विधायक हैं उनकी बैठक बुलायी जाय और जो सजेशन और संशोधन के साथ बिल आया है उसपर चर्चा हो। सदन अभी चल रहा है उसमें उसकी चर्चा करवाई जाय।

(इस अवसर पर सदन के बीच फ्लोर में झारखंड मसले से संबंधित सभी मान्नीय सदस्यगण नारे लगाने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अन्तराल)

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय ने आसान ग्रहण किया)

<u>विधायी-कार्य</u>

बिहार विनियोग विधेयक, 1993

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

"बिहार विनियोग विधेयक, 1993 को पुर:
स्थापित करने कि अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुर: स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री लालू प्रसाद : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ।

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष हमलोगों को आपकी तरफ से बैग, अटैची मिलता था। इस बार कछ नहीं अभी तक मिला है।

श्री लालू प्रसाद : आप लोगों का दस्तखत तो हो ही रहा है। 5 तारीख तक असेम्बली है। आप लोगों को बढ़िया से जूता-छाता देकर विदायी की जायेगी, गाडी़ वाला भी आप लोग का हो गया है। यह हम कल बोलेंगे। 5 तारीख के बाद

विदाई कर देना है। बहुत कम माननीय सदस्य ही फिर लौट कर आयेंगे इसलिए अच्छा इन लोगों का ख्याल करना है। फिर लौट कर आयेंगे इसलिए अच्छा से इन लोगों का ख्याल करना है। फिर मार्च में 2-4 दिन के लिए असेम्बली होगा, दिसम्बर, नवम्बर में तो चुनाव हो ही जायेगा। बाढ़ में आप लोगों को जाना है इसलिए अच्छा छाता, प्लास्टिक का जूता उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री रमेन्द्र कुमार : जूता अगर दिया जाएगा तो अच्छा दिया जाय।

श्री लालू प्रसाद : राजेन्द्र बाबू, आप गलतफहमी में मत रहिये। प्लास्टिक का जूता देने की बात है, चमड़े का जूता नहीं।

(हंसी)

विचार का प्रस्ताव

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि
बिहार विनियोग विधेयक 1993 पर विचार हो।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि
बिहार विनियोग विधेयक, 1993 पर विचार हो।
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ।
प्रश्न यह है कि

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अनुसूची इस विधेयक अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

खंड एक इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड एक इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि
नाम इस विधेयक का अंग बने।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि
बिहार विनियोग विधेयक 1993 स्वीकृत हो।

डा॰ जगन्नाथ मिश्रा : अध्यक्ष जी, मान्नीय मुख्यमंत्री ने जो स्वीकृत का प्रस्ताव पेश किया है विनियोग विधेयक के संबंध में मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में जो वित्तीय परिस्थितियां बनी इस प्रदेश की इन परिस्थितियों में सरकार को कोई हक नहीं है कि इतनी बडी रकम वो खर्च कर सके। और इसकी विधान सभा में सहमति दी जाय। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम वित्तीय परिस्थितियों के बारे में श्वेत पत्र जारी करेंगे लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया। इसलिए मुझे और बिहार की जनता को नहीं मालूम कि किन परिस्थितियों में मिली है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, पिछले दिनों बात उठी थी, वित्तीय वर्ष समाप्त जो हुए हैं उसमें 12 सौ रुपये की नजायज खर्च की बात उठी थी। अध्यक्ष जी हम जो संचिका देखें आपके समक्ष में अभी विस्तार में नहीं जायेंगे इतनी बात जरुर है कि जो कुछ हमने देखा है जो संचिका देखी है उसमें प्रथम दृष्टया मामला बनता है। 1156 करोड़ में 443 करोड़ पटने के कोषागार से निकासी की गयी। 740 करोड़ विभिन्न कोषागारों से निकासी की गयी उसके संबंध में हमलोगों को शक है। जो विभाग से पृच्छाएं की गयी है उत्तर आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इतना जरुर है कि नवम्बर में, दिसम्बर में, जनवरी में आपने रोक लगायी। फरवरी 25 को

आपने रोक को शिथिल किया फिर 20 मार्च को रोक लगाई इसके बावजूद 1156 करोड़ केवल मार्च में निकाले गये। जबकि आपने बार-बार यहां कहा था कि मार्च लूट को रोकेगें। सारी घोषणा के बावजूद 1156 करोड़ रुपये केवल मार्च महीने में निकाले गये। यह जांच का विषय है। अध्यक्ष जी, विभिन्न दलों के नेता संतुष्ट हों, लेकिन यह विषय गंभीर जांच का विषय है। प्रथम दृष्टाया आगे पृच्छा बाकी है इसका उत्तर आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी । अध्यक्ष जी, बिहार में तीन साल में जो उत्पादन की गति पिछले तीन सालों में साढ़े तीन प्रतिशत रही श्री लालू जी के शासन में 1.5 प्रतिशत पर चली अयी है। इसका मुख्य कारण है कि निजी पूंजी निवेश में, सरकार के पूंजी निवेश में बराबर ह्रास होता गया है जिसकी वजह से हमारे सारे कार्यक्रम रद्द हुए हैं।

इस साल 93-94 में जो बीत रहा है स्थिति स्पष्ट है जिसमें 2200 करोड़ रुपये कीयोजनायें चट कर। 1100 करोड़ रुपये की हुई और इसमें भारत सरकार की सहायता 1038 करोड़ रुपये की है, बिहार सरकार ने अपने स्तर से 574 करोड़ रुपये एकत्र करने का अश्वासन दिया था इसके विरुद्व केवल 34 करोड़ रुपये ही बिहार संचित कर सकी है और सबसे दुर्भाग्य की स्थिति है कि 1100 करोड़ में केवल 800 करोड़ रुपये ही खर्च हुये हैं। जैसी सूचना हमें मिली है और इस 800 करोड़ में से भी 445 करोड़ रु० सिविल डिपोजिट में जमाकर दिये गये हैं आखिर क्या योजना का स्वरुप है इस राज्यों में और ऐसा क्यों हुआ? आप क्या शासन चला रहे हैं, जिस ढंग से आप शासन चला रहे हैं, लंबी-2 बातें आपकी होती है, आपकी चीजों होती है। आप बड़े जोर से सदन में और सदन के बाहर बोलते हैं लेकिन कभी मुख्यमंत्री जी ने अपनी त्रुटी और कमजोरी को देखते नहीं हैं। जहां 1990-91 में कर के जरिये 2039.23 करोड़ एकत्र करना था, आपने वसूल किया 1540.3 करोड़। 1991-92 में निंधारित लक्ष्य था 2215 करोड़ 65 हजार लक्ष्य निर्धारित था और वसूल करपाये 1688 करोड़ और इस साल की स्थिति पूरी जानकारी मिली है, 1993-94 में कमोवेश यही है। इस साल भी न्नटैक्स रेवून्यू जहां 1540 करोड़ रुपये वसूल होने थे 90-91 में और वसूल कर पाये केवल 490 करोड़। 1991-92 में आपको वसूल करना था 576 करोड़ और वसूल कर पाये साढ़े 300 करोड़। आखिर राज्य का शासन आप कैसे चला रहे हैं? वित्तिय कुप्रबंधन जो आपके सामने हैं उससे स्पष्ट होता है कि सारी स्थिति सिर्फ कमजोर ही नहीं होती जा रही है,

बहुत नीचे गिरती जा रही है, और उसमें भी जो गैर योजना व्यय है जिसे आपने बढ़ाया है वह भी चिन्ता की बात है। गैर योजनामद में 900 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री है इससे भी स्पष्ट लगता है कि जहां 3000 करोड़ रुपये का व्यय गैर योजना मद में था उसे आपने बढ़ा कर 3900 करोड़ रुपया कर दिया अर्थात 900 करोड़ रुपया अनुत्पादित व्यय, गैर योजना मद में आपने पिछले तीन सालों में बढ़ाया। और इस साल जो बजट पेश किया है उस में 3000 करोड़ रुपये का आंकड़ा इसमें दिया है। और स्थिति सबसे दुखद पक्ष यह है कि गैर योजना मद में गैर व्यय को जब आप देखेंगे जहां मंत्री परिषद पर 3 करोड़ रुपया खर्च होता था 1990-91 में वह इस साल बढ़ कर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया हैं। मंत्री परिषद के भत्ता यात्रा सुविधायें उपस्कर आदि पर व्यय 3 करोड़ से अधिक की वृद्धि कर दी तीन सालों के भीतर। बोर्ड कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन और डिप्टीचेयरमैन हैं उसका इसमें नहीं जोड़ा हुआ है। इस तरह से गैर योजनामद में अपने अत्यधिक वृद्धि कर दी है। और इस गैर जिम्मेवारी की वजह से कभी आपने सोचा नहीं, कि दसवें वित्त आयोग का गठन हो चुका है आप प्रमंडल, अनुमंडल, जिला, और प्रखंड बना रहे हैं और यह राजस्व आता है वित्त आयोग से और वित्त आयोग से इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है वित्त आयोग की सीमा होती है और उसी सीमा तक तो एक्सपेंडिचर है उसको क्लेक्ट करता है। आपके द्वारा जो व्यय भार बढ़ रहा है। उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा? वित्त आयोग इसकी नोटिश लेने वाली नहीं है। दूसरी बात प्रमंडल, अनुमंडल, जिला ओर प्रखंड आप बना रहे हैं, बगैर किसी एक्सपर्ट कमिटी के राय के, बगैर वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग के समीक्षा के, केवल एक पौलिटिकल्स डिसीजन आप अपने स्तर से करते जा रहे हैं और उसमें 500 करोड़ रुपये का कमीटेड एक्सपेंडिचर जो नयी घोषणा कर दिया है कभी आपने सोचा कि इसकी व्यवस्था कहा से करेगें? सोजना आयोग का इस साल 81 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संसाधन जुटाने का आपने आश्वासन दिया है जो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल 574 करोड़ के विरुद्ध केवल 34 करोड़ ही अतिरिक्त संसाधन आप जुटा पाये। आखिर बिहार पर इतना व्यय भार निरंतर देते जा रहे हैं आखिर हमारा भविष्य क्या होगा? आप सोंच रहे हैं कि हम पांच साल रहेंगे लेकिन बिहार की 9 करोड़ आबादी हमेशा रहने वाली है। उसके भविष्य के बारे में तो आपको चिंता होनी चाहिए, व्यग्रता होनी चाहिए और कभी आप अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जांच करा, इसको देखनें का

काम किया कि कहां से करेंगे? अभी हाल में आपने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में लक्जरी टैक्स ओर इन्ट्री टैक्स लगाया है। हमको लगता है कि आपके पास कोई आर्थिक विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ नहीं है जो आपको बतलायें कि बिहार की तरक्की इससे होगी या बिहार को इससे नुकसान होगा। बिहार में तम्बाकू पर आपने टैक्स लगाने की बात है। बिहार में तम्बाकू पर आधारित कारखाना सिगरेट का मुंगेर में है और जर्दा का कारखाना मुजफ्फरनुर में है, उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसको आपने सोचा? आज कंपीटीटीव मारकेट है, आज हमारे देश की पूरी तैयारी है कि दुनियां के मारकेट का मुकाबिला किस तरह से करें और इसके लिए इन्सेंटीव भारत सरकार देती है। आज बिहार में जर्दा और सिगरेट के कारखानों पर जो आपने इन्ट्री टैक्स लगाया है,जो लक्जरी टैक्स लगाया उसके बारे में कभी सोचा कि इस व्यवसाय पर क्सा असर पडेगा, इसके, नियोजन पर क्या असर पडेगा और अपकी आमदनी पर क्या असर पडेगा? संभवतः 1957 में जब एडिशनल सेल्स टैक्स लगाया गया तो उसके अंतर्गत तम्बाकू को रखा गया और उसी वजह से बिहार सरकार को प्रतिसाल 180 करोड़ और 115 करोड़ हर साल मिलता है भारत सरकार से। जब तम्बाकू पर एडिशनल टैक्स भारत सरकार वसूल करती है और भारत सरकार हिस्सा देती है तो क्या इस पर आप दोबारे टैक्स लगा सकते हैं। लगता है ये कानूनी पेचीदगी जानकर देख कर कि बिहार के हित में क्या होगा आप विचार नहीं करते हैं और सीधे एडिशनल रेवेन्यू जुटाने के नाम पर आपको गलतफहमी उत्पन्न कर दी जाती है और आप इसे करते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह ऋण का भार बिहार पर लगातार बढ़ता जा रहा है उसका आंकडा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1993-94 के बजट से स्पष्ट होता है कि 1990-91, 91-92 तीन वर्षों में 1214 करोड़, 1514 करोड़ और 1800 करोड़ अब आपको ब्याज देना पड़ा। जिस तरह से हमारे योजना का व्यय जितना होता है उससे अधिक रुपया लगाना पड़ता है कर्जे का सूद देने में और वे कर्जे का उपयोग कहां करते हैं, गैर योजना मद में लगाते हैं। एकनॉमिक्स को जरा समझाने कि कोशिश कीजिए जो कर्ज आप लेते हैं उस कर्ज को उत्पादन व्यय में नहीं करते हैं, गैर उत्पादन व्यय में करके आप बिहार की जनता पर अधिक बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं और स्थिति आगे के दिनों में काफी कठिन होने वाली है। यह हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं जो अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है, जहां 89-90 में 352 करोड रुपये सूद देना पड़ रहा था वह बढ़ कर इस साल 1834 करोड़ रुपया हो गया।

कर्ज आप लेते जा रहे हैं। आपके कुप्रबंधन से जो हमारी स्थिति बनती जा रही है इसके बारे में केवल हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात की आशंका है कि भुगतान के मद में 6282 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। मूल धन और सूद को जोड़ दियाजाये तो 8500 करोड़ रुपया आपको 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में देना पड़ेगा। यह मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप मितव्ययिता से काम करें। यह हमारा कहना है कि बिहार इसको एर्फर्ड नहीं कर सकता है। बिहार सूबा किसी भी हालत में गैर योजना व्यय और अनुत्पादक व्यय को बर्दास्त नहीं कर सकता है, चूंकि यह आर्थिक तौर से दबा हुआ है। चूंकि 8 वीं पंचवर्षीय योजना में 8500 करोड़ रुपया आपको अदा करना पड़ेगा। जितनी राशि आप योजना व्यय में कर पायेंगे उससे अधिक भार आपको ऋण से होने वाला है। यह मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। इसी बारे में, हमारी सरकार थी 1983 में, उस जमाने में अष्टम वित्त आयोग के सामने हमने कहा था।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मान्नीय नेता, विरोधी दल सही चित्र रख रहे हैं बिहार का। बिहार का कितना कर्जा है पीछे का और कितना अनुत्पादक खर्च और जो आप कह रहे थे, यह तो वही बात हुई कि खाए भीम और भुगतान करे शकुनी।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अष्टम वित्त आयोग को बिहार सरकार की तरफ से अनुशंसा की गयी थी कि जो पुराने ऋण बिहार के हैं, उसको अनुदान के रुप में परिवर्तित कर दिया जाए। और फिर पांच वर्षों की अवधि में विशेष अनुदान के रुप में यह किया जाए। हम यह कहना चाहते हैं कि दशम वित्त आयोग का गठन हो चुका है। बिहार सरकार की तरफ से पता नहीं कि कोई मेमोरेंडम बनाया गया है या नहीं, आपको मेमोरेंडम देना है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पृष्ठभूमि की मैंने –चर्चा इसलिए की है कि दशमें वित्त आयोग आने ही वाला है, उसके समक्ष बिहार का पक्ष प्रस्तुत करना है,

जो सीमाएं हैं बिहार की, मजबूरियां हैं, इन तथ्यों को सही ढंग से उजागर करना है और वित्त आयोग के समक्ष आप यह निवेदन पेश करिए कि जो बिहार की परिस्थितियां हैं वह बिहार राज्य को विशेष दर्जा देने के लायक बनता है। इसलिए बिहार के पुराने कर्जों को दूसरे रुप में परिवर्तित कर के बिहार को राहत

दी जाए। इस तरह से ही आप बिहार प्रदेश को चला सकते हैं, लेकिन वह तब होगा जब आप गैर-योजना व्यय को बंद करेंगे, फिजुलखर्ची बंद करेंगे, अपने मंत्रियों की संख्या में कटौती करेंगे और हेलिकॉप्टर पर पांच करोड़ रुपया पेट्रोल पर जो खर्च करते हैं, पांच करोड़ मरम्मति पर खर्च करते हैं, एक व्यक्ति की यात्रा पर उड़नखटोला पर जो खर्च करते हैं, यह आपकी जिम्मेवारी थी कि फिजुलखर्ची को रोकें। आप जिम्मेवारी से काम करिए, हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस गरीब सूबे, कर्जा से दबे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपका प्रशासन पर एडमिनिस्ट्रेसन नहीं हैं आप कोई राजा या महाराजा नहीं हैं कि जो मरजी आए खर्च करते रहेंगे। आप अपनी गैर जिम्मेवारी से बिहार के सार्वजनिक कोश का दुरुपयोग कर रहे हैं।

हम यह आरोप लगाते हैं, चार्ज करते हैं कि तीन साल में आपने बिहार के आर्थिक अवस्था को क्षत-विक्षत कर दिया है। आपकी गैर-जिम्मेवारी की वजह से बिहार राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एलॉन किया था कि जो कॉरपोरेशन बोर्ड घाटे में चल रहे हैं या तो मिलान करेंगे या उसे लाभकारी बनायेंगे, लेकिन तीन साल बीत गये, महालेखा नियंत्रक का रिर्पोट है। इस रिर्पोट को हमारे मान्नीय सदस्यों ने भी देखा होगा। जो चित्र हमारे लोक उद्यमों के बारे में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कॉरपोरेशन को लाभकारी करेंगे, इसके खर्चो में कटौती करेंगे। लेकिन आपने तीन साल में बोर्ड कॉरपोरेशन में कोई तब्दिली नहीं की; कोई परिर्वतन नहीं आया जिसका असर यह हुआ कि दस से चौदह करोड़ रुपये के खर्च के भार से कॉरपोरेशन बोर्ड दब गया और चेयरमैन या अन्य खर्चों का बोझ आपने बढ़ा दिया कॉरपोरेशन पर। इस प्रकार यह लाभकारी नहीं हो सकती है। यह परिस्थिति आपने पैदा की है जिसकी वजह से इनका भविष्य अंधकारपूर्ण है। बिहार के बारे में थोड़ा सी भी चिन्ता या सोच आपकी रहती कि आगे के दिनों में आम क्या कर रहें हैं तो हमें संतोष होता।

अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी स्वयं बड़ी चर्चा करते हैं पिछड़ी जातियों के बारे में, हरिजन-आदिवासियों के बारे में। हमको जो कागज मिला है, आपके

विभाग का ही है। यह कागज आपको दिखाना चाहता हूँ। एक भयानक चित्र आया है हमारे सामने।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के लिए वर्ष 92-93 में जो पैसा दिया गया, 28 करोड़ रुपया दिया गया और एक पैसा भी सरकार ने, चित्र स्पष्ट है, मैं पढ़ देता हूँ- हरिजनों को सुखाड़ से राहत दिलाने के लिए, किसानों के लिए 8 करोड़ रुपया आया, कहां गया रुपया? सिविल डिपोजिट में जमा कर दिया गया, बंधुआ मजदूरों के लिए आया 3 करोड़ 93 लाख रुपये कहां गया? सिविल डिपॉजिट में। बिहार इप्स्टीच्यूट ऑफ लेदर के लिए आया 6 करोड़ 85 लाख रुपये, कहां गया? सिविल डिपॉजिट में, मुजफ्फरपुर जिले के 445 महिलाओं के स्वनियोजन, हरिजन महिलाओं के लिए 3 करोड़ 23 लाख रुपये आया, कहां गया? सिविल डिपॉजिट में चला गया। चेयरमैन, उद्योग विकास निगम को 100 व्यक्तियों के लिए कितना रुपया आया? 3 करोड़ 56 लाख रुपये और यह चला गया सिविल डिपॉजिट में। इसलिए हमारे पास सारे कागजात हैं, आपके विभाग का ही है। एक-एक पैसा सिविल डिपॉजिट में जमा करा दिया गया और यह सरकार हरिजनों के कल्याण की बात करती है। आपका ही कागज है। 1992-93 में भारत सरकार ने दिया है...

श्री लालू प्रसाद: किस महीने में ?

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : 31 मार्च, 1993 को यह स्थिति थी कि 28 करोड़ में एक पैसा भी नहीं खर्च करके सिविल डिपॉजिट में आपने जमा करा दिया। यह आपने, आपकी जनता दल की सरकार ने ज्यादती की है। जो आपने किया है वह चरवाहे हो सकते हैं और कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन हरिजनों के नाम पर इस सूबे से आपकी सरकार ने जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है। जो पैसा उन लोगों के लिए दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जवाहर रोजगार योजना के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। जवाहर रोजगार योजना के बारे में भारत सरकार का निर्देश है कि 80 प्रतिशत रुपया जाएगा पंचायतों को ओर 20 प्रतिशत रुपये जाएगा डी॰ आर॰ डी॰

ए॰ को, आपने किया क्या? पता नहीं कि विभाग ने आपको जानकारी दी है या नहीं। काम आपके मंत्री करते हैं, पदाधिकारी करते हैं, लगता है आपको कोई जानकारी ही नहीं है कि क्या हिसाब है। पंचायतों को 80 प्रतिशत की जगह केवल 55 प्रतिशत पैसा गया ओर 45 प्रतिशत पैसा आपने डी॰ आर॰ आर॰ ए॰ के कोष में जमा कर दिया। हम यह जान्ना चाहते है कि भारत सरकार का निर्देश है कि 80 प्रतिशत पैसा दिया है इसमें 20 प्रतिशत आपका है।

भारत सरकार का निर्देश है कि 80 प्रतिशत पैसा दिया जाएगा पंचायतों को और 20 प्रतिशत जाएगा डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ को। लेकिन आपके यहां क्या हो रहा है? 55 प्रतिशत पैसा पंचायतों को दिया गया और 45 प्रतिशत डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ को जा रहा है। यह निर्देश का घोर उल्लंघन हो रहा है। जो गांवों का पैसा है, पंचायतों का पैसा है उस पैसे के बारे में आपने यह परिस्थितियां बना रखी है, आप यह देखना चाहते हैं? आपके डिपार्टमेंट का ही एक रिर्पोट है, वही हम बताना चाहते हैं।

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो कुछ स्वयं देखते नहीं है, इनके विभाग के पदाधिकारी लोग ही देखते हैं यह सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, इसमें गड़बड़ी हो रही है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 92-93 में 425 करोड़ 85 लाख रुपये पंचायतों को दिये और 263 करोड़ 92 लाख डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ को। आखिर किसकी इजाजत से दिया गया? किसकी इजाजत से पंचायतों को और डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ दे रहे हैं? और डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ यह पैसा क्या करता है? यह हिसाब-किताब आपके पास है? इसके ऑफिस ने अपनी मनमर्जी से इसके खर्च किया है जबकि पंचायतों की आम राय से इसका खर्च होना है और आपका डी॰ आर॰ डी॰ ए॰ अपनी मर्जी से पैसों का दुरुपयोग करता है। वह क्या करता है, इसकी हमें सूचना है, इन पैसों की बहुत बड़ी रकम बैंकों में जमा है, खर्च नहीं हुआ है। आखिर पैसा आता है खर्च करने के लिए और आप पैसा को रखे रहे हैं। वर्ष 93-94 में आपने 587.8 लाख रुपये दिया गया जवाहर रोजगार योजना के लिए और पिछले साल का जो हिसाब है, हमारी सूचना है कि 185 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। आप सरकारी आंकड़ा को मंगाईए हमारी सूचना है कि 150 करोड़

भी खर्च नहीं हुआ है। विभाग ने स्वीकार किया है कि 14 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। अभी तो आपने जो मुक्त किया है पंचायतों में, उसका आंकड़ा हमारे पास है, वह 432 करोड़ के रुप में। लेकिन जो श्रम दिवस सृजित करने का लक्ष्य है उसके बारे में देखा जाए। अभी तक जून महीने तक केवल 38 करोड़ रुपये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, सुखाड़ के बावजूद पलामू, गढ़वा की हालत खराब रहने के बावजूद, इस मान्नीय सदस्यों ने कहा कि सूखाड़ की वजह से जवाहर रोजगार योजना का काम नहीं हो रहा है। अप्रील, मई और जून में केवल 38 रुपये आपने जवाहर रोजगार के मद में खर्च किया है।

क्या रोजगार बनेगा भारत सरकार के पैसे से-185 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने दिया, कुल मिलाकर 725 करोड़ रुपया जवाहर रोजगार में आपको व्यय करना है, लेकिन अभी तक 38 करोड़ रुपये खर्च करने की सूचना आई है, इसका माने यह है कि आप इसको सिरियसली लेते नहीं हैं इन समस्याओं के बारे में कि क्या हो रहा है? जहां तक श्रम दिवस सृजित करने की बात है -15 सौ लाख श्रम दिवस बनाना था जून महीना तक, लेकिन बनाया गया 260 लाख श्रम दिवस। सुखाड़ के बावजूद जहां 15 सौ लाख श्रम दिवस बनाया था आपने बनाया 260 लाख श्रम दिवस, इसका कारण यह है कि सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों, छोटे-मझौले किसान तंग और परेशान हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। पैसा होने के बावजूद भारत सरकार के द्वारा पैसा विमुक्त होने के बाद भी इन इलाकों में कहीं किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, इससे सुखाड़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

इसलिए अध्यक्ष जी, हम यह कहना चाहते हैं कि आई० आर० डी० पी० में 18 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च नहीं हुआ है, आई० आर० डी० पी० के तहत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के जो स्कीम है, इनके तहत जो रुपये दिये गये 18 करोड़ 36 लाख रुपया पिछले साल का बकाया आ गया पहली अप्रील को। आपका आई० आर० डी० वी० नहीं चलता है, जे० आर० वाई० नहीं चलता है, शिडियूल कास्ट एवं सिडयूल ट्रर्डिव का प्रोग्राम नहीं चलता है, आपके मंत्रियों द्वारा केवल भ्रमण का काम चलता है और आपके मंत्री अनियमितता का भ्रष्टाचार का काम करते हैं, शासन चलाने का काम चलता है और आपके सामने जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये, इससे परिस्थिति साफ हो जाती है कि बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत अस्त-व्यस्त है, क्षत-विक्षत है, लेकिन जो परिस्थिति आपने बनाई है

साम्प्रदायिक तनाव का, जातीय तनाव की जो स्थिति आपने उत्पन्न की है और जिस तरह से विकास की धारा को रोकने का काम किया है और लोगों को दूसरी दिशा की ओर जाने का काम किया है, हम बतलाना चाहते हैं अध्यक्ष जी, पहले भी हमने कहा था पिछड़ी जाति, हरिजन, के आरक्षण के मामले में, हमने पहले भी कहा था कि इस सदन को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए कि तीन साल की इसी सरकार ने आरक्षण के मामले में क्या प्रगति हुई है?

हमने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन आज तक उत्तर नहीं आये। अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारो को आपने लोक सेवा आयोग में क्यों नहीं रखा जब कि उनको योग्य उम्मीदवार उपलब्ध थे? आप सिर्फ भेस्टेड इन्टरेस्ट की सेवा करना चाहते हैं, जो सुखी और धनी हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं- हम जान्ना चाहते हैं, उन्होने जो आरक्षण का सिद्धान्त दिया था 1977 में, उन्होंने आर्थिक सीमा क्यों बांधा था? उन्होंने आर्थिक सीमा को इसमें इसलिए जोडा था ताकि जो अत्यन्त पिछडे हैं, जो आर्थिक रुप से सम्पन्न नहीं है उनको लाभ मिले न कि जो सुखी हैं, जो धनी हैं, जो नौकरी में आ गये हैं उनको यह लाभ नहीं मिले, लेकिन आप अनूप बाबू एवं विनायक बाबू के दबाव में आकर उनके बेटों को, सरकारी अधिकारियों के बेटों को, श्री आर० लाल के बेटों को आरक्षण का लाभ मिले, और, लोहार, सोनार, बनिया आदि जो गरीब हैं उनको लाभ नहीं मिलें यह आरक्षण नीति आपने बनाई हैं।

(सदन में आवाज़ "शेम-शेम")

कर्पूरी ठाकुर की जो आरक्षण नीति है उसमें किसी तरह का संशोधन का कोई औचित्य नहीं है, चूंकि उच्च न्यायालय का हवाला दिया है, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है, कहा क्रिमी लेयर की बात। हमारा सवाल यह है कि बिहार की जनता दल की सरकार पिछड़ी जाति ...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हमने तो लागू किया। आप क्या बोल रहे हैं? वहां लागू नहीं हुआ। आज शाम को आप जा रहे हैं वहां।

डा० जगन्नाथ मिश्र : आपने आरक्षण नीति सिद्धांत में जो परिवर्त्तन संशोधन किया है, यह उचित नहीं किया है। आप पिछड़ी जाति गरीब लोगों के

हिस्सा को मत मारिये और जो पिछड़ी जाति में सुखी, धनी हैं, एम॰पी॰, एम॰एल॰ए॰, मिनिस्टर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील और डाक्टर के बेटे हैं, उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ देकर बिहार के गांव के पिछड़ी जाति को वंचित करना चाहते हैं। इसलिए आप आर्थिक नीति की सीमा लागू कीजिए जो कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था जो जायज एवं उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित कहा था।

(शोरगुल)

उस समय मैं विपक्ष का नेता था और विपक्ष के नेता की हैसियत से कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण नीति को शत-प्रतिशत समर्थन किया था। स्व॰ कर्पूरी ठाकुर आरक्षण नीति की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पद से हट गए थे तो उनके कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी सरकारी ने ली थी। हमने आरक्षण के संबंध में परिभाषित किया था और सारे प्रदेश में आरक्षण लागू हो गया था। मंडल कमीशन के बारे में पहली बार हमारी मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 1984 में प्रस्ताव पास किया था कि मंडल कमीशन की अनुशंसा को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद जब वी॰ पी॰ सिंह की सरकार ने लागू किया तो 7 अगस्त को उसी दिन हमने टोटलिटी में उनका समर्थन किया था। यह बात अखबार में भी आयी थी। फिर हमने 22 नवम्बर को समर्थन किया था।

श्री लालू प्रसाद : सब बिन्दु पर कल जबाब देगें। जन्नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो नीति तय किया था, वह सब प्रोसीडिंग में हैं। मैं इसको कल लेकर आऊंगा। स्व॰ कर्पूरी ठाकुर की क्या नीति है, सांप है, बिच्छू है। यह तो बताइये।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : उपाध्यक्ष, महोदय, हमने कांग्रेस की ओर से आरक्षण को परिभाषित किया था कांग्रेस पूरी-की-पूरी पिछड़ी जाति, के आरक्षण के लिए वचनबद्ध है। स्व॰ कर्पूरी ठाकुर ने अत्यन्त पिछड़ी जाति, गरीब को प्राथमिकता देने की जो बात कही थी, मैंने उसको समर्थन दिया था। मंडल कमीशन के एनाउनसमेंट के समय मैंने वी॰ पी॰ सिंह को कहा था कि आप स्व॰ कर्पूरी ठाकुर फारमूला को इनक्लूड कीजिए। लेकिन आप और कुछ प्रेस वालों ने हमारी अच्छी नियत पर क्योश्चन कर दिया। हमारी सरकार ने पहली बार वर्ष 1975 में बिहार के सारे यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण लागू करवाया था। कॉपरेटिव सोसाईटी में हमारी सरकार ने आरक्षण लागू करवाया था।

श्री लालू प्रसाद : डा॰ साहब जिस जिला से आते हैं वहां संस्कृत यूनिवर्सिटी है और वहां कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बहाल हुए हैं? आप बतला दीजिए कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग हैं? आपका आरक्षण कहां लागू था? वहां स्वीपर में भी मैथिल ब्राह्मण बहाल हैं।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : जब आप इधर बैठते थे तो वह मानसिकता थी और उधर बैठने पर भी वही मानसिकता बनी हुई है। हमने कहा कि कांग्रेस की नीति के तहत जो आरक्षण के सिद्धांत हमारी सरकार ने लागू कराया और जिस ईमानदारी से लागू कराया, आपने तीन साल में कुछ नहीं किया। आपकी नीयत पर संदेह है। बिहार में पिछले तीन सालों में दो लाख की रिक्तियों पर यदि तीन सालों में नियुक्तियाँ हुई होती तो, कम से कम 1 लाख हरिजन आदिवासी और पिछड़ी जातियों की नियुक्तियाँ हुई होती। कांग्रेस ने इसको नहीं रोका है, दिल्ली की सरकार नहीं रोकती है। दो लाख वैकेन्सी सरकार की आज भी बरकरार है। आप इसपर बहाली क्यों नहीं करते हैं? इसलिए हमने कहा था कि पिछले तीन सालों से आपकी सरकार ने छल करने के अलावा, धोखा करने के अलावा, जातीय उन्माद पैदा करने के अलावा पिछड़ी जातियों के लिए कोई काम नहीं किया है इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहता हैं कि आप जातीय उन्माद फैलाने की राजनीति को खत्म करिये, सारे प्रदेश के साथ में चलने की कोशिश करिये। आपने महिला का आरक्षण और आर्थिक रुप से पिछड़े दूसरी ऊँची जातियों का आरक्षण समाप्त किया है। हम जान्ना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कभी नहीं कहा जिन राज्यों में आरक्षण जिस रुप में लागू है लागू रहेगा और हमारा यह फैसला राज्यों के आरक्षण में प्रभावित नहीं करेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर के फार्मूला में परिर्वतन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पिछड़ी जातियों की इन्कम टैक्स की सीमा को खतम कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि महिला आरक्षण समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि दूसरी ऊँची जातियों का आरक्षण समाप्त करो। डा॰ लोहिया ने कहा था कि बैकवर्ड इन्कलुड्स महिला। पिछड़ी में डा॰ राम मनोहर लोहिया ने महिला को शामिल किया है। आप उनके ऐसे चेला निकले और आप उसके विपरित महिला को आरक्षण से वंचित कर दिया। अगर आपको ऊँची जातियों से इतनी नफरत है

तो उनको आप डिफ्रेन्चाईज कर दीजिये, मताधिकार का पावर छीन लीजिये, उनकी नागरिकता छीन लीजिए लेकिन आप समाज में अफवाह फैलाते हैं और कहते हैं कि ऊँची जातियों के महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या जो ऊँची जाति में गरीब-गुरबा हैं उनको सहायता नहीं मिलेगी और इस फार्मूले को चलाकर आप इस सूबे को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसलिए हम आपकी सहायता करना चाहते हैं।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं संविधान पढ़ रहा था। 15(4) में लिखा हुआ है सेक्स के आधार पर आरक्षण करना अनुचित है। सेक्स (महिला) की 2/3 मैजरिटी से डा॰ लोहिया बात आप स्वीकार कर लिए होते तो उस समय ही लागू हो गया होता इसलिए जो महिला पिछड़े वर्ग की हैं, शिड्युल्ड कास्ट या शिड्युल्ड ट्राईब्स की हैं उनको आरक्षण मिलेगा लेकिन हम संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपना थेसिस चलाते हैं। 15(4) में संविधान में सेक्स के आधार पर आरक्षण को अनुचित माना गया है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहाना लेकर महिला के आरक्षण को खतम किया है और इस आरक्षण नीति में परिर्वतन किया है तो यह एक मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यों में आरक्षण को यह फैसला प्रभावित नहीं करेगा इसलिए आपने जो परिर्वतन किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। आपने अपने लोगों के इन्टरेस्ट को सर्व करने के लिए अपनी जाति के सुखी संपन्न लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए और गरीब-गुरबा जिसका आप नाम लेते हैं, दिन-रात आप उन गरीबों जाति के साथ, गरीब आदमी के साथ, गरीब मल्लाह के साथ गरीब नोनिया के साथ धोखा कर रहे हैं और इसकी आर्थिक सीमा को हटाकर देहात के गरीबों को आरक्षण के लाभ से आपने वंचित कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल के शासन में बिहार में विकास काम एकदम बंद कर दिया है। योजना का काम बन्द कर दिया गया है। पिंछड़ी जातियों का, हरिजनों का काम बन्द कर दिया गया। किसानों के लिए 145 करोड़ रुपया भारत सरकार ने मदद दी थी।

श्री कुमुद रंजन झा : उपाध्यक्ष महोदय, बिना कुछ मतलब जाने हुए मुख्यमंत्री जी कह देते हैं। संविधान के 15(4) में क्या है। मैं उसको पढ़कर सुना

देता हूँ।

15(4) में है : "Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of tribes."

(2) में है " No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birthor any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to.."

डा० जगन्नाथ मिश्र : किसानों के लिए 145 करोड़ विशेष सहायता में भारत सरकार ने भेजा। आपने 145 करोड़ के विरुद्ध 9 करोड़ खर्च किया। हम आपसे हिसाब जान्ना चाहते हैं कि भारत सरकार की सहायता के पैसे का उपयोग कहाँ किया? हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक के विशेष कल्याणकारी योजना के लिए भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को 129 करोड़ रुपया विशेष सहायता में दी गयी, तो आपने 129 करोड़ रुपया को सिविल डिपोजिट में हरिजनों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का जमा कर दिया। भारत सरकार ने इस मामले में आपसे कैफियत पूछा, आपने परमिशन मांगा है, अगले साल इसको ले जाने के लिए।

इसलिए भारत सरकार ने पूछा है, आपकी क्षमता नहीं है, आप इनके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। हम आपसे जान्ना चाहते हैं कि जिन पिछड़ी जातियों के लिए, हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आप नारा लगाते हैं, उनके लिए भारत सरकार से आया पैसा को आपने खर्च किया? कंपोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान में जो पैसा भारत सरकार से विशेष सहायता में आपके पास 36 करोड़ आये, उसको भी आपने खर्च नहीं किया और ट्राइबल सब-प्लान के बारे में जो उनका 34 करोड़ रुपया आया, उसको भी आपने खर्च नहीं किया हैं। आपके शासनकाल में हमारा यह आरोप हैं। आपके शासनकाल में हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ, अल्पसंख्यक तथा गरीब लोग दबाये जा रहे हैं। आपके शासनकाल में एक लाख भूमिहीनों को जमीन से वंचित किया गया है। आपने संशोधन करने की बात उठाई थी, इस संबंध में ऑल पार्टी मीटिंग की थी, लेकिन

आपने कानून नहीं बनाया, आपने जबरन सी॰ पी॰ आई॰, सी॰ पी॰ एम॰, आई॰ पी॰ एफ॰ को कानून से खेलने की इजाजत दे दी है, जबरन लोगों की जमीन छीनी जा रही है, जबरन लोगों को तबाह किया जा रहा है, जबरन गरीबों का झोपड़ी गिरता जा रहा है और आपका शासन मूकदर्शक हो गया है। आपको सिर्फ राजनीति करने के अलावा बिहार के विकास के बारे में कोई चिंता नहीं है। एक कहावत है कि भुसखोल विद्यार्थी का बस्ता मोट, इनको सिर्फ राजनीति करने के अलावा बिहार के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछड़ी जातियों के लिए इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। ये सिर्फ पिछड़ी जातियों के साथ धोखा, छल और नारा लगाते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए, लेकिन सच्चे दिल से वे इनका भलाई करना नहीं चाहते हैं। इन्टर कॉलेज को वित्त सहित करना था, इन्होंने नहीं किया, पोस्ट क्रिएट करना था, लेकिन नहीं किया, डिग्री कॉलेज को वित्त सहित करना था, लेकिन आपने नहीं किया, 117 माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण होना था, लेकिन आपने नहीं किया, 423 संस्कृत विद्यालय ....

श्री लालू प्रसाद : मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, पाखंड का विरोधी हूँ। आप बोलते-बोलते पस्त हो रहे हैं, बैठ जाइयें। हमलोगों पर पाप लगाइयेगा क्या?

(हंसी)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र : महोदय, मैं कह रहा था कि 429 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को अभी भी घोषणा के बावजूद तनख्वाह नहीं मिला। 37 संस्कृत विद्यालयों की मंजूरी नहीं दी गयी। 2995 मदरसा के मंजूरी के बावजूद मंजूरी नहीं दी गयी। 427 मदरसा साल भर से सरकारी मुलाजिम की सुविधा नहीं दी गयी है। आपने विश्वविद्यालय शिक्षकों को अपमानित किया है। इस सूबे में आपने शिक्षा का स्तर घटाने का काम किया है। विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ .. व्यवधान।

महोदय, मैं कह रहा था कि शिक्षा की हालत बहुत दयनीय हो गयी है। प्राथमिक, माध्यमिक, मदरसा, विश्वविद्यालय, संस्कृत हर स्तर पर गिरावट है, तनख्वाह नहीं है, वित्तीय संकट है और मुख्यमंत्री ने कदाचार को शिक्षा के क्षेत्र में फैलाया है। आज एक-एक यूनिवर्सिटी में कापिया 7-7 दिनों पर लिखकर वापस की जाती हैं। जिस तरह से परीक्षाओं को बदनाम किया है उसमें सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। मगध विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, पटना

विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय को बहुत पीछे धकेल दिया है। इस तरह बिहार के शिक्षकों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। शिक्षा को बरबाद करने वाले मुख्यमंत्री के रुप में आपकी छवि बनी है। आप स्वयं पिछड़ी जाति की बात करते हैं। मंडल आयोग बना। आई॰ ए॰ एस॰, आई॰ पी॰ ए॰ बिहार से क्या चोरी कर, बेइमानी कर जायेगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जायेगा। बिहार के परीक्षार्थियों को आप धोखा में रखकर चपरासी और किरानी बनाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की शिक्षा को गंभीरता से लिया जाय। अगर पिछड़ी जातियों को उठाना चाहते हैं, विकास चाहते हैं तो समाज में परिर्वतन लाइये।

समूल परिवर्तन लाइये। प्रतियोगिता के लिए, कंपिटीशन के लायक उनको बनाइये, लेकिन नहीं, आप सारी अराजकता पैदा करके बैठ गये हैं, अपना कान बन्द कर लिया है। इसलिए चारों तरफ आपकी असफलता है। एक उद्योग नहीं खुला, एक कारखाना नहीं खुला। अराजकता है, अस्त-व्यस्तता है, पैसे की लूट है, भ्रष्टाचार है। इसलिए आपका यह विधेयक पास नहीं होना है, बिहार को बचाना है।

उपाध्यक्ष : श्री रामपरीक्षण साहूँ

श्री रामपरीक्षण साहू : महोदय, राम जतन बाबू को बैठाया जाय।

श्री राम जतन सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दिया हुआ है, लिख कर। महोदय, जब हम विभिन्न विभाग की माँगों पर विचार करते हैं तो कटौती प्रस्ताव और संशोधन देने का प्रावधान है, लेकिन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियावली के नियम से बंधे हुए हैं कि बिहार विनियोग विधेयक जो है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं दे सकते कि संशोधन का विषय वैसी किसी रकम में हेराफेरी करने का नहीं हो, जो सदन के द्वारा विभिन्न मांग स्वीकृत किये हुए हैं या जो बिहार की संचित निधि पर भार है, उसकी भी रकम में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए विनियोग विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष : राम जतन बाबू, आप इतना लम्बा क्यों अपना व्यवस्था का प्रश्न खींच रहे हैं?

श्री राम जतन सिन्हा : महोदय, मैं कोई व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं हूँ। मैंने कागज दिया था, उसको पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाता।

उपाध्यक्ष : मैंने आपका कागज पढ़ा, देखा। चूंकि इस पक्ष से बोल चुके हैं, इसलिए श्री राम परीक्षण साहूजी को पुकारा। वे बोल लेगें तो आपको दिया जायेगा। आप हैं दिमाग में।

श्री राम परीक्षण साहू : मैं इस विनियोग विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी डा॰ जगन्नाथ मिश्रा ने आपने भाषण में बहुत सी बातें की। इनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इन्होंनें भाषण में वही कुछ कहा जो बातें वे आये दिन पत्रकार कॉफ्रेन्स में बोलते हैं या अन्य दिनों में जो पब्लिक मीटिंग में बोलते रहते हैं। बिहार की कोई तरक्की नहीं, बिहार का कोई डेभलपमेन्ट नहीं, विकास के काम बन्द, कोषागार से निकासी और विकास का काम बाधित कर सिविल डिपाजिट में रुपया जमा, यह इस विषय पर बराबर बोलते रहते हैं। यह सारी की सारी रटी रटाई हुयी चीज ही रखते हैं।

डा॰ शकील अहमद : यह राम परीक्षण साहू हमेशा व्यवस्था के नाम पर बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। इनको रांची भेज कर जांच कराया जाय। यह व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाते हैं।

उपाध्यक्ष : इनके साथ आपको क्यों नहीं राँची भेजा जाय। आप इनको बोलने दीजिये।

श्री राम परीक्षण साहू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ कि डा॰ साहब (डा॰ जगन्नाथ मिश्रा) को विरोध करने का एक पैसा भी हक नहीं है। उनके अन्दर हिम्मत नहीं होनी चाहिए इसका विरोध करने का। हमारे राज्य में बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, इस अचानक उत्पन्न स्थिति पर हमारी सरकार ने बहस करवाया। बहस के दौरान सारी बातें आ गयी अभी डा॰ साहब ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार की जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि डा॰ साहब को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस राज्य पर आप अब आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह राज्य डकैती का राज्य नहीं है। इस राज्य में भ्रष्टाचार का राज नहीं है। इस राज्य में अन्याय का राज नहीं है। यह राज गरीबों की बेहतरी की बात करती है, यह राज्य डकैती का राज्य गरीबों की बेहतरी के लिये है। यह राज्य पिछड़ों के लिए है। इस राज में पिछड़ों, दलितों और गरीबों के उत्थान का काम हो रहा है। और यह लालू प्रसाद जैसे कुशल नेतृत्व में फल-फूल रहा है

और जिनकी इतने दिनों तक उपेक्षा हुई है उनका काम किया जा रहा है। हर समय ऐसा कोई ने कोई नेता ऐसा आता है अपनी छाप छोड़ जाता है और इस बार भी यहां का नेता अपनी गहरी छाप छोड़ जायेगा।

ये मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उनकी जो सब से पिछड़े हुये हैं। जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था। जिन्हें समाज हीन भावना और हीन दृष्टि के साथ देखता था। डा॰ साहब की भी सरकार ने इनके साथ कोई न्याय नहीं किया। यह हमारे मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं उनकी जिसको किसी ने नहीं पूछा। यह मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं डोम की मुसहर की। यह काम कर रहे हैं उनके ऊपर उठने की। हमारे मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है। यह ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ है इससे दर्द हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री पांच मंजिला बिल्डिंग बनवा रहे हैं, नाला रोड में बनवा रहे हैं। उन लोगों के लिए बनवा रहे हैं जो बेघर हैं। उन बेघरों को घर देने के लिए बनवा रहे है। अब इनको घबड़ाहट हो रही है, इनको बेचैनी हो रही है, इनको परेशानी हो रही है कि उन बेघर बार की औरतें और बच्चे उन मकानों में रहेंगे और उनकी बराबरी करेंगे। और वे महसूस करेंगे कि उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है। तकलीफ इसलिए हो रही है कि उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया मुसहरों के लिये घर बनाने का काम। यह काम हो रहा है। यह घर बन रहा है। मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि तीन वर्ष का बैक लोग पूरा किया जायेगा। जो हरिजनों और पिछड़ों का जो बैक-लोग है उसे पूरा किया ही जायेगा। पहले हरिजनों के मद में जो रुपया आता था उसे यह लोग हड़प लेते थे। अब वह रुपया हड़पा नहीं जायेगा। अब यह रुपया मुसहरों का घर बनाने में खर्च होगा। इस परिवर्तन में जो छेड़-छाड़ हो रहा है तो दर्द जरुर होगा। यह हमारे लालू प्रसाद जी करोड़ों लोगों के नेता हैं। यह 8 करोड़ के नेता हैं। और यह (डा॰ जगन्नाथ मिश्रा) 80 लाख लोगों के नेता हैं। यह आरक्षण की बात कर रहे हैं। इनके शासन काल में आरक्षण का लाभ आरक्षित वर्ग को क्या मिला। कोई लाभ नहीं मिला इन्होंने केवल आरक्षण का ढ़ोल पीटा है। यह 300-400 लोगों की बहाली हर साल कर दिया करते थे। मैथिल को 200 नम्बर दिलवा दिया करते थे। जिसमें सिर्फ मैथिलों की बहाली होती थी। मैथिल ब्राह्मनों

की। अब जब इनके हाथ से सत्ता निकल गया तो छटपटाहट हो रही है। बेचैनी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक रिपोर्ट सदन में मार्च के महीने में श्री वी॰ पी॰ शर्मा की रिपोर्ट पेश की गयी थी। यह वी॰ पी॰ शर्मा की रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में, हरिजन आदिवासी के लिये जो कमिटी बनी थी, इस रिपोर्ट में उन्होने बताया है कि, यह व्यवस्था है कि उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय है जो इंडिया में निवास करते हैं, दूसरा विषय है मध्य वर्गीय लोगों का जो भारत में निवास करते हैं। तीसरा विषय है जो हिन्दुस्तान राज्य का विषय है। हिन्दुस्तान में कौन कहाँ रहता है? इस हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ा (एनेक्सचर) के लोग इस देश में रहते है। और इस हिन्दुस्तान के लोगों का नेता कौन है तो वह है लालू प्रसाद। उपाध्यक्ष महोदय, जिसके जूते के कील गड़ते हैं उसे ही कष्ट अनुभव होता है और यह महसूस होता है महसूस हो रहा है हमारे लालू प्रसाद जी को। उपाध्यक्ष जी जो शल्य चिकित्सा चल रही है ये उसको समझ नहीं पायेगें। दूसरी बात उपाध्यक्ष जी हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में उठाया गया इनको यह उठाने का हक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंह जो सेक्युरिटी के अन्दर पकड़े गये। जे॰ पी॰ सी॰ की रिपोर्ट, और पार्लियामेंटरी कमिटि के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे है। यह बात इनको समझ में नहीं आ रही है।

श्री रामजतन सिंहा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था है। बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 182 के तहत आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ। इन्हें मालूम होना चाहिए कि आज विनियोग विधेयक पर कोई सदस्य चर्चा करेगें ये केवल उन्हीं बिन्दू पर चर्चा कर सकते हैं जो पूर्व में चर्चा का विषय नहीं रहा हो। ये केवल सिद्धांत की ही बात कह सकते हैं इसके अलावे किसी बिन्दू पर चर्चा ये नहीं कर सकते हैं। इसमें रेसटिक्सन है। इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यह समय को बर्बाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष : इन्होने जिन बातों की चर्चा की यह बात कब हुआ है।

श्री रामाश्रय सिंह : अभी डा॰ मिश्र ने 1156 करोड़ में 731 करोड़ के गबन की बात कही। आप इस पर जबाब दीजिए।

श्री रामपरीक्षण साहू : उपाध्यक्ष महोदय, जे॰पी॰सी॰ के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनको हैसियत नहीं है कि ये इस्तीफे की मांग करें। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये इस्तीफे की मांग करेगें। ये सुप्रीम कोर्ट में जायेगें। उपाध्यक्ष महोदय, शरद पवार जी जो डिफेंस मिनिस्टर पहले थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने गरीबों का स्कूल उजाड़ दिया और आई॰ ए॰ एस॰ अफसरों के नाम बंदोबस्ती कर ली। हाई कोर्ट ने कहा उसमें ये गरीबों के स्कूल को उजाड़ नहीं सकते। लेकिन इनका इस्तीफा नहीं हुआ। डा॰ मिश्र की बात क्या कहूँ। अरबन बैंक घोटाला कांड में गांधी मैदान की बिक्री हो गयी, प्लेटफार्म की बिक्री हो गयी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोषी हैं। ये कह गये सुप्रीम कोर्ट जायेगें और ये दूसरे से इस्तीफा की मांग करते हैं। आपके यहां जो शौमुखम चेट्टी, फाईनेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 17 अगस्त 1948 को एक छोटी सी गलती के लिये इस्तिफा किया था, यह हैसियत लाल बहादुर शास्त्री में था, वह कांग्रेस अब नहीं रहीं, वह कांग्रेस अब मर गई। आज कांग्रेस की नीति पर यह कांग्रेस नहीं चलती है।

श्री रामजतन सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद चल रहा है, उनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए, दूसरी चर्चा नहीं करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष : शांति-शांति। रामपरिक्षण साहू जी, विभिन्न विभागों के अनुदानों के मांगों पर जो चर्चा हो चुकी है, उसकी पुनरावृत्ति विनियोग विधेयक पर नहीं करें, आप अपने विषय-वस्तु पर आवें।

श्री रामपरीक्षण साहू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विषय वस्तु पर ही बोल रहा हूँ। हंसराज भारद्वाज का इन्टरभ्यू पेपर में निकला है, उन्होंने अपने इन्टरभ्यू में कहा है कि हर्षद मेहता कहते हैं कि वे सभी मंत्रियों के बेडरूम में चले जाते थे और यदि मैं योजना मंत्री रहता तो मेरे बेड-रुम में भी चले आते। उपाध्यक्ष महोदय, इनका हाथ भ्रष्यचार से लाल हो गया है, भ्रष्टाचार के खून से लाल हो रहा है, ये भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगें?

उपाध्यक्ष : शांति-शांति। मैंने पहले ही नियमन दिया था, जब रामजतन सिन्हा जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया था कि जिन बातों की चर्चा पूर्व में हो चुकी है, उसकी पुनरावृत्ति विनियोग विधेयक के बाद-विवाद के क्रम में नहीं होगा,

इसलिए मान्नीय सदस्य, आप विषय वस्तु पर बोलें।

श्री रामपरीक्षण साहू : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल व्यवस्था की है, व्यवस्था का दोष है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 2 महाकाव्य और 42 स्मृत्ति की रचना ब्रह्मणों द्वारा की गई, ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है। स्मृत्ति में लिखा हुआ है कि हरिजन, आदिवासी क्या हैं। ये लोग गीदड़, कउआ और नेवला के समान हैं और यही लोग धंम संस्था की बात करते हैं, कुरान, वेद की बात करते हैं। रातचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है-वी० जे० पी० वाले भी उसी की बात करते हैं, हमलोगों की अन्तिम लड़ाई उन्हीं के साथ होगी। भले ही राजो बाबू, कांग्रेस वाले उनसे समझौता कर लें लेकिन हमारी अन्तिम क्षण तक उनसे लड़ाई होगी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है- "सुपच, किरात कोल कलवारा, ये वनाधाम तेली कुम्हारा" और यही लोग धर्म संस्था की बात करते हैं और मैं कहता हूँ कि इन्हीं से हमको अन्तिम लड़ाई होगी। इसके बाद भी रामचरितमानस में कहा गया है कि:-

"ढ़ोल गवाँर सूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी" यह इसलिए कहा गया है कि सूद्र आगे नहीं बढ़ सकता है, इनके शासन को हमलोग मान्ने वाले नहीं है, हमलोगों की अन्तिम लड़ाई आपके साथ होनी है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री जी. डी. शर्मा जो किसी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी रिपार्ट है, इससे घबराकर वी०जे०पी० के लोगों ने उनको नंगा सड़क पर घुमाया, इस पर काफी हंगामा हुआ हिन्दुस्तान के अन्दर, चारों तरफ। जी० डी० शर्मा को नंगा कर सड़क पर इसलिये घुमाया गया कि उन्होंने आदिवासी, हरिजन के पक्ष में आवाज, उठायी, रिपोर्ट लिखा। उन्ही नीतियों का विरोध हमारे लालू बाबू कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको बतला देना-चाहता हूँ हम सेंट्रल पैकेज के तहत मांग करते हैं, जिसमें सेकेन्डरी टीचर्स को बेनीफीट दिया गया है, उसके संबंध में मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 2000 प्रधानाध्यापक की बहाली की जाय, जिसमें 50 प्रतिशत प्रोमोशन से और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति की जाय ताकि हरिजन आदिवासी और पिछड़ों को उसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पी. एम. सी. एच. और एन. एम. सी. एच. के संबंध में कहना चाहता हूँ। इन दो अस्पतालों में विभाग का वितरण कर दीजिए ताकि प्रोफेसरों की संख्या घट जायेगी और दूसरी मरफ मरीजों को सुविधा होगी जो

उस अस्पताल में जमीन पर रहते हैं, वे दूसरे अस्पताल में बेड पर जाकर रहेंगे, इसलिए आप दोनों अस्पतालों का विभाग का बंटवारा कर दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारा प्रखंड बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसको दो प्रखंड में बाँट दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो जन स्वास्थ्य सेवक ट्रैनिंग करके बैठे हुए हैं, 50 रुपये महीना पर बहाली करना है, उनकी बहाली कर दीजिये ताकि वे हिन्दुस्तान में फैल जायेंगे और स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे मैं भी मांग करता हूँ कि तीन थानों में एक-एक आउट पोस्ट का निर्माण करा दिया जाय। कांटी वैशाली और कुढ़नी के बीच एक आउट पोस्ट का निर्माण करा दिया जाय ताकि लॉ एंड आर्डर ठीक ढंग से चले, इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री चन्द्रमोहन राय : उपाध्यक्ष महोदय, लालू यादव की सरकार को चौथा साल चल रहा है और इसका काफी समय बीत चुका है इस सरकार का आकलन करने का, लेखा-जोखा करने का, इनकी उपलब्धियों और सफलताओं पर विचार करने का, अब कोई ठोस चीज नही रह गई है। इनको पर्याप्त समय नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है, इनको पर्याप्त समय मिला है। इन्होंने जो घोषणायें की थी, जो इन्होंने वादे किये थे, जो जगह-जगह अपने नीतियों के बारे में एलान किया था कि कांग्रेस के भ्रष्ट राजनीतिक, संस्कृति से अलग होकर जनता को एक स्वच्छ, ईमानदार, दक्ष और भ्रष्यचार मुक्त प्रशासन देंगे। इसपर अपनी राय प्रकट करने का मौका मिला। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य होता है कि अपने राज्य में अपने नागरिकों को इस तरह की व्यवस्था देना, जिसमें वह अमन-चैन से रह सके और जिस धंधे में वे लगे हैं वे अपना काम ईमानदारी से कर सकें और काम करने के बाद लौटकर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण ढ़ंग से रह सकें। आज क्या स्थिति है विधि व्यवस्था की? बिहार में लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार का सिलसिला अनवरत जारी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अपहरण ने आज उद्योग का रुप ले लिया है। आज बिहार में उद्योग की स्थिति यह है कि बिहार में पहले से बने बनाये उद्योग चौपट हो रहे हैं। और उद्योगपति दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं ओर इस राज्य में जो पूँजी निवेश होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

प्रो॰ रवीन्द्र चरण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे घोर आश्चर्य लग रहा है कि मान्नीय सदस्य अमन-चैन और शान्ति पर बोल रहे हैं। जिन्होने पूरे राज्य के अमनचैंन पर शान्ति को छीन लिया। बाबरी मस्जिद को ढ़ाहकर पूरे भारत में अशान्ति फैला दिया।

उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन राय : उपाध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी ने सामान्य प्रशासन पर बोलते हुए कहा था कि जबसे हमने पुलिस पर घुड़सबारी शुरु किया तबसे हमारे माँ; बहन रावण वध को देखने जाते हैं, रामलीला को देखने जाते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : किसी भी सदस्य को बार-बार उठकर व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि व्यवस्था की बात कर रहा था। मेरे जिला पश्चिम चम्पारण में यह हालत हो गयी है कि हमारे गाँव की बहु-बेटियाँ सूर्य ढलने के बाद ऊख के खेत में जाकर शरण लेती है अपहरणकर्त्ताओं एवं बलात्कारियों से बचने के लिए। लेकिन हमारे लालू प्रसाद जी का कहना है कि ये पुलिस प्रशासन की घुड़सवारी कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए और इनमें थोड़ी-सी भी नैतिकता शेष है तो इनको इस्तिफा दे देना चाहिए। किसी भी तरह का अपराध चाहे वह चोरी हो, चाहे वह डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य में विकास की बात है, सारे विकास के काम ठप हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में तेरह हजार करोड़ से ऊपर की पंचवर्षीय योजना थी लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्षों में 92-93 ओर 93-94 में योजना मद में जो राशि दी गयी है, उससे ऐसा लगता है कि ये तीन हजार करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पायेंगे ओर योजनाकाल के पूरे होने तक पांच प्रतिशत की विकास दर शून्य पर पहुंच जायेगा। विकास दर निरंतर पीछे को ओर जा रहा है देश में चारों तरफ विकास की दरों में वृद्धि हो रही है लेकिन बिहार में हम आदिम युग में लौट रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : इस तरह से बार-बार उठकर के व्यवधान कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन राय : उपाध्यक्ष महोदय, जो ढ़ोल पीटा जा रहा है सामाजिक न्याय की। आज भी हमारे समाज में पिछड़े, दलितों, हरिजनों एवं हमारे समाज के आदिवासियों को पीटा जा रहा है तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो शोषक थे, उनकी जाति बदल गयी है। जाति बदल देने से शोषक नहीं बदल जाता है। पहले अधिकांश भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूतों के द्वारा होता था, आज जो पिछड़ी जाति के सबल लोग हैं वे इन हरिजन, आदिवासियों एवं पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं।

(इस अवसर पर मान्नीय सदस्य श्री इन्दरसिंह नामधारी ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल और आज सदन में इनलोगों के द्वारा कहा गया कि विकास आगे नहीं बढ़ा है। पूरे देश में आडवाणीजी का रथ निकालकर जो तांडव हुआ और बाबरी मस्जिद को ढ़ाहकर साम्प्रदायिकता दंगे कराये, देश में अमन और चैन को इनलोगों ने समाप्त किया। इनलोगों को अपने-चैन पर बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि इनलोगों ने देश में दंगा कराकर देश को कलंकित किया। अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी, विकास की गति ठप हो गयी। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए।

सभापति : मान्नीय सदस्य रवीन्द्र चरण जी, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यदि आपको भाषण देने की इच्छा है तो आपको समय दिया जा सकता है लेकिन जब काई मान्नीय सदस्य बोल रहे हैं तो इसमें आप शालीनता बरतें। उनकी बातों को आप सुनें। बीच में उठ-उठकर व्यवधान पैदा करना, मैं उचित नहीं समझाता हूँ।

श्री चन्द्रमोहन राय : सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय पर बोल रहा था। जहां तक मंडल आयोग के अनुशंसानों का सवाल है, मेरे पार्टी का उससे कोई मतभेद नहीं है।

सभापति : सबसे बड़ी बात यह है कि आप उधर देखते हैं, आपको आसन की तरफ देखना चाहिए।

श्री चन्द्रमोहन राय : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल की तरह 1989 में चुनाव घोषणा-पत्र में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का वायदा किया था सिर्फ इसमें हमलोगों का इतना ही संशोधन करने का प्रस्ताव था कि मंडल आयोग के अनुसार जो पिछड़ी जातियों की जो सूची है वह बहुत लम्बी है और उसमें जो सबल पिछड़ी जातियाँ हैं उस के अलावा अत्यंत पिछड़ी हुई जातियाँ हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हैं, उनको आरक्षण दिया जाय। अभी मान्नीय मंख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मान्नीय कर्पूरी ठाकुर ने जिस तरह से अत्यंत पिछड़ी जातियों को पहचान कर उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी, आप उसी तरह से पंचायतों के चुनाव में पिछड़ी जातियों जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको अलग से आरक्षण को व्यवस्था की जाय।

सभापति : आपका समय हो गया है, आप बैठ जायें। आपका गला बैठ गया है।

श्री चन्द्रमोहन राय : सभापति महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे अभी बोलने दिया जाय।

सभापति : आपका गला बैठ गया है। इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रमोहन राय : मैं अब कन्कलुड कर रहा हूँ इसलिए मुझे बोलने दिया जाय।

सभापति : मेरी इनसे पुरानी मित्रताा है इसलिए मैं इनपर रहम कर रहा हूँ।

श्री चन्द्रमोहन राय : मुझे पाँच मिनट और बोलने दिया जाय। सभापति महोदय, मान्नीय मुख्यमंत्री जी जब भी कोई भाषण देते हैं बराबर आडवाणी जी की गिरफ्तारी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बात करतें हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राजनैतिक स्तर पर

मुकाबला करें। आडवाणी जी की गिरफ्तारी और आडवाणी जी की रथ-यात्रा का ही परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री जी जो अपने को लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति बतलाते हैं, उनको प्रधानमंत्री, नरसिंहाराव के दरबार में उपस्थित होकर अपने अस्तित्व के लिए याचना करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए पटना में कांग्रेस और जनता दल में दुरभि संधि हुई। आडवाणी जी की रथ-यात्रा का ही परिणाम हुआ कि आज भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आया। कल तक कांग्रेस और तमाम गैर कांग्रेस पार्टी की जगह राजनीति की धुरी भाजपा बनाम गैर भाजपा दलों की हो गई।

सभापति : अब आप बैठ जावें। आपका गला बैठ गया है।

श्री चन्द्रमोहन राय : यह कोई कारण नहीं हो सकता है मेरे भाषण को रोकने का सभापति महोदय। मैं भी जल्दी से अपना भाषण कंक्लुड कर रहा हूँ।

सभापति : अब कंक्लुड कीजिए।

श्री चन्द्र मोहन राय : सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक, श्री ए० के० मल्लिक को ईमानदारी, दक्षता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे और जिन्होंने पटना के विगत चुनाव में निष्पक्षता और ईमानदारी से चुनाव की कोशिश भी की थी, उसको किस तरह से बेइज्जत करके, डिमोरलाईज करके निकाला गया। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस प्रशासन के अभी जो महानिदेशक, श्री अरूण कुमार चौधरी हैं और होम कमीशनर, श्री जियालाल आर्य हैं, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को इस कदर गिरा दिया और मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद के इशारे पर गलत मनगढ़ंत आरोप लगाकर एक ईमानदार अफसर को डिमोरलाईज करने और जलील करने की कोशिश की है, बेइज्जत करने की कोशिश की है। मैं मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद से कहना चाहता हूँ कि अगर वे प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं, स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना चाहते हैं तो उनको रंगीन चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी की ईमानदारी जाति से तय नहीं होती है। अगर वे इस तरह का शासन नहीं दे सकते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन नहीं दे सकते हैं, तो इनको कोई नैतिक आधार सरकार में कंटीन्यू करने का नहीं है। इनको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए और जनता को मौका देना चाहिए कि फिर

नये सिरे सें चुनाव कराकर यहां की जनता अपने नये प्रतिनिधियों को यहां का शासन सौंप दे।

श्री शशि कुमार राय : सभापत महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज मैं डा० जगन्नाथ मिश्र जी का भाषण सुन रहा था, चन्द्रमोहन राय जी का भाषण सुन रहा था, ऐसा लगता है, शायद सही में हमारे मान्नीय सदस्यों ने कहा कि यहां विषय है विनियोग विधेयक का और बात कहीं और कर रहे हैं। लेकिन उस संबंध में जो वार्त्तायें हुई हैं उसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि चन्द्रमोहन राय जी को बहुत भारी चिन्ता है बिहार प्रदेश की। नहीं होनी चाहिए चूँकि जैसा कि कई मान्नीय सदस्यों ने उनको कहा कि जब आप पूरे हिन्दुस्तान को जला रहे थे, उसके बारे में कहिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अन्त में आकर उन्होंने पटना के चुनाव के सिलसिले में मल्लिक, सीनियर एस० पी० की दुहाई दे रहे थे। शायद ये उस दिन पटना में थे या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं पटना में उस दिन था। उस दिन सीनियर एस० पी० का जो रोल हुआ, गरीबों, शोषितों और अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से जुल्म ढाया गया उसके हिसाब से उसके साथ सरकार ने कुछ नहीं किया। इस अफसर को एक मिनट रखने का मतलब यह होता कि सामाजिक न्याय के तहत जिनको मान्नीय मुख्ययमंत्री लालू प्रसाद सामाजिक न्याय देना चाहते थे, उस कड़ी के विपरीत इनका रोल हुआ जिसके चलते उनको हटाना उचित ही प्रतीत होता है। जो 90 फीसदी लोग हैं, जिनको मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद पर आस्था है, अगर उनको नहीं हटाया जाता तो 90 फीसदी लोगें के साथ विश्वासघात होता। 4-5 साल पर जो मताधिकार का अधिकार मिलता है उससे वे उनको वंचित करना चाहते थे। काफी लोगों की पिटाई की गई और क्या-क्या नहीं हुआ। वह दृश्य देखने के लायक था।

अब मैं सामाजिक न्याय की सरकार, मान्नीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद का जो कार्य-कलाप है उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। मंडल आयोग का जो सिफारिश है, हमलोगों की सरकार में मंडल आयोग का गठन नहीं हुआ था, कांग्रेस की सरकार में मंडल आयोग का गठन हुआ था। वे भी बराबर कहते थे कि मंडल आयोग लागू होगा लेकिन अब तक उसको लागू करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। बल्कि हाथी के दाँत जैसा उन्होंने काम किया। हाथी का दाँत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और होता है। जैसे हाथी का दाँत दिखाने वाला होता है उसी तरह

का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। जो निरीह जनता है, जो गांव में बसते हैं उसको अधिकार कैसे दिया जायेगा? उसका सही रास्ता है, मंडल आयोग के द्वारा। जो शासन है, प्रशासन है उसमें जब तक उसका प्रतिनिधित्व नहीं करायेंगे तब तक सही रुप से उनको अधिकार नहीं मिलेगा। इसी के तहत हमारे डॉ॰ राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने का दिशानिर्देश किया था। उसी के तहत हमारी सरकार, मान्नीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद जी की सरकार सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल रही है। ये बिहार में ऐसा काम कर रहे हैं कि जिनके पहले जुबान नहीं था, जो कुछ बोल नहीं सकते थे उसको इन्होंने जुबान दिया था, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, इन्होंने मुसहर और डोम के लिए घर बनाने का काम गांव से लेकर शहर तक किया है और ये कर रहें हैं। उसमें इन्होंने बीच के बिचौलिए को खतम करने का काम किया है। आज वही ठीकेदार हैं, वहीं मजदूर है और वही उस मकान में रहने वाला है। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। पूरे हिन्दुस्तान में यह एक नमूना है। सभापति महोदय, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति बिहार में बनी है उससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही हताश हो गये हैं। इस प्रदेश में सबसे कम पढ़े-लिखे लोग मुसहर जाति के हैं। आज उनकी सरकार में भागीदारी हुई है। सरकार द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, वह गांवों तक पहुँच रहा है तो ये घबराये हुए हैं। मुझे याद है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वे पटना आये थे तो उन्होंने अपने भाषण के क्रम में कहा था कि जो मैं 100 रुपया देता हूँ, गांव तक पहुंचते-पहुंचते 20 रुपया भी खर्च नहीं होता है। आज मान्नीय मुंख्यमंत्री, लालू प्रसाद गांवों तक 100 रुपया, पूरा का पुरा पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आपको घबड़ाना नहीं चाहिए, डा॰ साहब आप अपने क्षेत्र में देखिये कि यह सही है या गलत, इसका अंदाजा मिल जायेगा। हमारे मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद नौकरियों में बिहार सरकार के तहत जो भी सीट खाली है उसको भरने के लिए आदेश दिए हैं। उसी के तहत 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, 2 हजार दारोगा की नियुक्ति और जो भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उसको भरने के लिए उन्होंने आदेश दिया है और निकट भविष्य में वह पूरा हो जायेगा। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ कमेगी। कुछ ऐसी बहाली जो अति आवश्यक थी जैसे कुछ कर्मचारी और पदाधिकारी जिनका मृत्यु आज से 10 साल पहले हो गयी थी लेकिन उनकी जगह पर, उनके रिक्त स्थान पर आज तक बहाली नहीं हुई थी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री

श्री लालू प्रसाद ने उनके आश्रितों की बहाली अनुकम्पा के आधार पर किया है और इसके लिए उन्होंने टाईम बौंड बनाकर किया है।

सभापति महोदय, यह लगता है कि सामाजिक न्याय की सरकार समाज के लिए कुछ करना चाहती है लेकिन आज जो परिस्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं और आज जो स्थिति है उसे लगता है कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का अभी जो मनोबल बढ़ा है उससे ये लोग घबड़ाये हुए हैं। सभापति महोदय, समय कम रहने के कारण अब मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में मोतीपुर सुगर फैक्ट्री है और उसी सुगर फैक्ट्री में हमारे क्षेत्र के किसानों का गन्ना आता है। आज किसानों का बकाया 27 लाख रुपया है और 21 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसानों और मजदूरों के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करवा दे। हमारे क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति है। यदि बकाये राशि का भुगतान हो जाता है तो किसान कुछ मुकाबला कर सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में गंडक नदी के सीमा पर चार पंचायत है। उसके दोनों तरफ कटाव शुरु हो गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस कटाव को रोकने का काम सरकार शीघ्र करे।

सभापति महोदय, तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी जगह अनुमंडल का उद्‌घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने मोतीपुर को अनुमंडल बनाने के लिए आश्वासन दिया था। लेकिन वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि मोतीपुर को अनुमंडल बनाने का उद्‌घाटन शीघ्र किया जाय।

श्री देवनंदन प्रसाद : सभापति महोदय, मैं कुछ अपने क्षेत्र की ही बात कहना चाहता हूँ, इधर-उधर जाने के लिए आप समय नहीं देते हैं। बिहार सरकार पर्यटन विभाग का विकास नहीं कर रही है और उसके बारे में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि नालंदा बहुत पुराना खुला ऐतिहासिक स्थान है। और उसके लिए डायरेक्ट बहाल हुआ जो आज तक उसी नालन्दा के नाम पर नालन्दा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। उस के शिक्षक नियुक्ति हुए पर आज तक अपना कार्यालय पटना में ही रखे हैं।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सकरी जलाशय सिंचाई योजना आज करीब-करीब डेढ़ अरब का हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें विलम्ब होने के कारण सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं कर सकी। यह दिल्ली सरकार की बात है क्योंकि बिहार सरकार से वह काम नहीं होगा चूँकि स्कीम बड़ा है। इसमें 14 प्रखंडों की सिंचाई होती है, नालंदा, नवादा और मुंगेर जिला के। ऐसी योजना है कि इसके लिए कई तरह का आंदोलन हो रहा है। बिहार सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि यहां से प्राथमिकता के आधार पर इस योजना की स्वीकृति के लिए दिल्ली के पास भेज दें। कई जगह हमारे मुख्यमंत्री प्रखंड और जिला बना चुके हैं। कई बार हमने उनसे बात किया है कि वारसलीगंज को अनुमंडल बनावें जिस का मुख्यालय बाबू बरही हो, रेलवे स्टेशन के निकट हो। अंग्रेजों के समय से ही वह महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कांग्रेस राज में भी कहा गया कि आज सबडिवीजन बनेगा, कल बनेगा लेकिन नहीं बना। हम चाहेंगे कि वारसलीगंज को सबडिवीजन बना दिया जाय। उसी तरह से बरही हजारीबाग जिले का एक सब-डिवीजन बनाने की बात है वह भी होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे जिला में 10 प्रखंड हैं जिसमें 9 प्रखंड डी. ए. पी. डी. पी. के हैं। इसकी वजह से ही कुछ विकास का काम होता है। केवल वारसलीगंज एक ऐसा प्रखंड है जहां डी. पी. ए. पी. लागू नहीं हुआ है और वह विकास से वंचित रह गया। मैं चाहूँगा कि डी. पी. ए. पी. के अन्दर इसे ले लें। जिला योजना समिति से और जिला विकास समिति से प्रस्ताव स्वीकृत कर सरकार के पास भेजा गया है लेकिन वह अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किस ऑफिस में पड़ा हुआ है यह मालूम नहीं होता है। हम अनुरोध करेंगे कि वारसलीगंज को डी. पी. ए. पी. से जोड़ दिया जाय।

सभापति महोदय, उद्योग के मामले में हमारे यहां एक चीनी मिल है वह बहुत पुराना हो गया है। उसके आधुनिकीकरण की जरुरत है जो नहीं हो रहा है और उसकी वजह से यह सरकार उसको किसी दूसरी जगह देने की बात सोच रही है लेकिन देना नहीं चाहिए। वहां कितने मजदूरों का कई लाख रुपया बाकी है और किसानों के 10 लाख रुपये बाकी है। यह चीनी मिल किसानों और मजदूरों के बकाये रुपये पहले दे दे तब इसको दूसरी जगह ले जाने के बारे में सरकार सोच सकती है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के पकड़ीबरावां में एक डॉक्टर कुमार है, वे एक बार वेतन लेने के लिए आते हैं। हम सिविल सर्जन के यहां गये थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको वहां रहना चाहिए।

श्री योगेश्वर गोप : सभापति महादय, चालू वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत करने के लिए वर्तमान बिहार विनियोग विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है और इसमें राशि है 95 अरब से भी ऊपर। अभी इस हाउस के सामने 95 अरब से भी ऊँची राशि खर्च करने के लिए यह विधेयक पेश है, निकासी के लिए पेश है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अगर एतराज नहीं होता इस निकासी के लिए स्वीकृति देने में, यदि इस पैसे से राज्य के विशाल जनता जो 9 करोड़ है उसके लाभ के लिए होता, उनकी सुविधाओं के लिए होता, कुछ विकास के लिए होता और अच्छा प्रशासन के लिए होता लेकिन जितनी बातें हम देख रहे हैं वे सब विपरीत हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च करे और आम जनता को सुख सुविधा नहीं तो किस बात के लिए स्वीकृति की जायें दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनता दल के सदस्यों की ओर से जो भाषण होते हैं उससे हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। पिछड़े वर्गों के लिए दलितों के लिए शोषितों के लिए उसके उत्थान के लिए ये सभी के लिए रामावतार लिये हुये हैं। अब जरा देखें कि 95 अरब की जो मांग है और इनके खर्चे की जो प्रविष्टि हैं तो उन दलितों और गरीबों के लिए इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है? ऊँचे वर्ग के लिए कितना पैसा खर्च होनेवाला है? मैं किसी भी सरकार के भाषण से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। उसके एक्शन से, आचरण से प्रभावित होंगे। यह बजट टेस्ट है और यह बजट ऊँचे वर्ग का है या पिछड़े दलितों या छोट-छोटे लोगों को है? जो बजट हमारे सामने हैं जिसकी निकासी के लिए स्वीकृति देनेवाले हैं, और जो पिछली सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थीं, उनसे कोई भिन्न प्रकार का चरित्र या भिन्न प्रकार का बजट नहीं है इसको देखना चाहिए। देखते हैं तो जो पहले सरकारें थी और यह सरकार है, इस बजट के आधार पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, इनके मंत्री महोदय शिकायत करते हैं, लेकिन काम को चलाने के लिए, जो इनके काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है? जिस प्रकार कांग्रेस राज में शासन चलाने के लिए उनके कर्मचारियों के प्रति जो दृष्टिकोण था उतना ही सहृदयतापूर्ण वर्तमान सरकार का कर्मचारियों के प्रति है। जो केन्द्रीय सरकार से

मंहगाई भत्ते, दूसरी सुविधायें, केन्द्रीय दर पर वेतन आदि का प्रश्न है, इस सरकार ने पूर्णतः बर्बाद कर दिया है। जिसके लिये चारों ओर असंतोष है। मैंने कहा था कि जिस प्रकार गरीबों के लिए इसमें क्या है, अभी जो आपके पास बजट है उसमें राहत देने के लिए दैविक विपदा में राहत देने के लिए कितनी निकासी का प्रावधान किया है, 35 करोड़ रुपये का। हमारे राज्य में 8 करोड़ लोग हैं, और यह 35 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति कितना पड़ने जा रहा है, सालाना 4 रु० इससे कौन सा राहत दिया जा सकता है? बाढ़ और सुखाड़ हमारे राज्य में है उसमें इस राहत से कौन से मदद होने जा रही हैं और आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो उधार देने का प्रावधान है वह साढ़े 9 करोड़ रुपया का है और एक कर्मचारी को यदि एक रुपया दिया जाता है तो एक करोड़ रुपया आता है तो 9 रु० प्रति कर्मचारी सालाना हुआ। इससे कौन सा कर्मचारी उपभोग करेंगे।

सभापति : 4.00 बजे बहस रोक दी जायेगी। कल इस पर वाद-विवाद जारी रहेगा। आप अपने भविष्य को कंक्लुड कीजिये।

श्री योगेश्वर प्रसाद : अच्छा मैं समाप्त करता हूँ। यह सरकार आर्थिक संकट का रोना रोती है। सारे बिहार में अगर पूछिये कि आपके सरकार में कौन सा काम होता है, तो एक ही आवाज आयेगी ट्रांसफर और पोस्टिंग का बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में यहां से वहां लोगों को ट्रांसफर किये जा रहे हैं, परेशान करने के लिए और उस पर खर्च होगा या नहीं अगर खर्च होगा तो उस हालत में तो इतने लोगों का ट्रांसफर क्यों करने जा रहे हैं?

पब्लिक सेक्टर जो हैं, जो लाखों को रोजगार देने वाली है, इस क्षेत्र को आप बंद करने जा रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार की बात है, उसने अपना एक बोर्ड बनाया है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड, वहां जिन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें रुपये देकर हटाया जा रहा है। उसको पहले एक्जामीन कर लें। आपके यहां बोर्ड जो इसको एक्जामीन करेगी। कौन सा लाभ उन्हें दीजिये। मैं आज इतना ही कह कर समाप्त करता हूँ कल और बोलने देगें।

सुरेश प्रसाद यादव : सभापति महादेय, अभी जो विनियोग विधेयक पेश है, 95 अरब रुपये जो इनको दिये जायें, तो क्यों दिये जायें, जितनी योजनायें पारित होती हैं, उस पर खर्च नहीं होता है। जितनी बिहार की सड़कें जर्जर हैं। वृद्धावस्था

पेंशन नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, और इसी प्रकार जितनी विकास की योजनायें हैं उन सबों का काम रुका हुआ है। इन्हें 95 अरब रुपये क्यों दिये जा रहे हैं? इतना ही नहीं, इनका रुपया सरेंडर हो जाता है और ये कहते हैं कि मेरे पास रुपया नहीं है। यह हमेशा विरोधाभास है। सभापति जी, हमलोग अपने जिला में जिला योजना में योजनायें स्वीकृत 1992-93 में किये उसका भी एक काम नहीं हुआ है। 20 सूत्री की बैठक होती थी, उसमें इसका अवलोकन किया जाता था, लेखा-जोंखा किया जाता था, वह मीटिंग कभी होती ही नहीं है।, 20 सूत्री डिफंक्ट है। इतना ही नहीं, इनका किसी अंचल में बी॰ डी॰ ओ॰ और सी॰ ओ॰ नहीं है। तो प्रखंड में और अंचल में जो पैसा देंगे वह खर्च कैसे होगा? इतना ही नहीं, जवाहर रोजगार योजना की चर्चा होती है। जवाहर रोजगार योजना में अभी तक तो इसमें पैसा जा रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। आपने पंचायत आयोग बनाने की बात की है, आप पंचायत वित्त आयोग बनायें लेकिन हमारा कहना है कि पंचायतों में जो पैसा जाता है और जो खर्च होता है, जिस तरह आप वित्त आयोग बनाने की बात कर रहे हैं उसी तरह भिजिलेंस, निगरानी आयोग का गठन करें तो पंचायत केवल पर जितने खर्च हुये होते हैं। उस खर्च की निगरानी रखें ताकि जितना पैसा भेजा जाता है उसका सीधा लाभ जनता को मिले। नहीं तो यह बंदर बांट हो जाता है। आर॰ ई॰ ओ॰ की सड़क देखें, जो सड़क बन गयी है, उसको मरम्मत कराने का कोई प्रोविजन नहीं है।

सभापति : आपको और बोलने की ईच्छा हो और आपको और मसाला है तो कल आप कन्टीन्यू कर सकते हैं?

सुरेश प्रसाद यादव : आप आज भर तो बोलने दीजिये।

सभापति जी, अभी आर॰ ई॰ ओ॰ की जितनी सड़कें हैं, उसकी मरम्मती का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसी सड़कें बनी हुई हैं जिन पर आप चल नही सकते हैं। विधायक कोटा में जो पैसा दिया जाता है, रोड दिये गये हैं, उनका निर्माण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 5 कि॰ मी॰ रोड का पैसा भेज दिये हैं और 1992-93 को जो पैसा है उसका कहीं अता-पता नहीं है। सारे बिहार की यही स्थिति है। ऐसी स्थिति में इनको जो पैसा दिया जायेगा वह किस काम के लिए दिया जायेगा? वित्तरहित शिक्षा नीति बनाया गया लेकिन ये कभी सोचते हैं कि वहां

पर जो शिक्षक हैं और जो शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं उन पर क्या मुसीबत होती है? कांग्रेस की जब सरकार थी, उस सरकार ने इस मद में कुछ एड देने का निर्णय लिया था, उसमें कुछ घाटा अनुदान देने की योजना बनाई गयी थी। लेकिन इस सरकार ने एक पैसा भी इंटरमीडिएट वालों को नहीं दिया इसलिए इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के जो काम चल रहे थे वे सारे काम बंद हैं। ग्रमीण विद्युतीकरण को जो काम था वह सारा काम बंद हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां जो सबडिविजन औफिस बिजली का है वह कटोरिया से 12 कि॰ मी॰ दूर पर है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो अमरपुर सबडिवीजन बिजली विभाग का है अगर ग्रामीण विद्युतीकरण को ठीक से चलाना चाहते हैं तो उसे कटोरिया लाया जाय। सभापति महोदय, बांका नया जिला बना है। समाहरणालय के भूमि का चयन नहीं किया गया है, साईट सेलेक्सन नहीं हुआ है, विभिन्न विभागों के पदा॰ की पोस्टिंग नहीं हुई है इसलिए वहां कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आप सुल्तानगंज से देवघर गये होंगे। पिंछले टाइम में भी काम्प्ल एटेंसन हुआ था सारे रोड के चौड़ीकरण की बात हुई थी लेकिन काम नहीं हुआ। सारा काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। रोड-चौड़ीकरण नहीं होने से कांवरियों को काफी कठिनाई होती है।

सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें। वाद-विवाद जारी रहेगा।

सामान्य लोक हित के विषय पर विमर्श

(क) राज्य में व्याप्त सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विमर्श

सभापति : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह, स॰वि॰स॰, श्री जगदीश शर्मा, स॰वि॰स॰, श्री अम्बिका प्रसाद, स॰वि॰स॰, श्री प्रशान्त कुमार स॰वि॰स॰, श्री रेवाकान्त द्विवेदी, स॰वि॰स॰, डा॰ जगन्नाथ मिश्र, नेता विरोधी दल, श्री देवनाथ प्रसाद, स॰वि॰स॰, श्री गिरिनाथ सिंह, स॰वि॰स॰, श्री चुन्नीलाल राजवंशी, स॰वि॰स॰, श्री देवन्नदन प्रसाद, स॰वि॰स॰ श्री रामशरण यादव, स॰वी॰स॰, श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद, स॰वि॰स॰, श्री रामनाथ यादव, स॰वि॰स॰, श्री हरिराम सरदार, स॰वि॰स॰, श्री रामलखन सिंह, स॰वि॰स॰, श्री हीवर गुड्डीया, स॰वि॰स॰, श्री इन्दर सिंह नामधारी, स॰वि॰स॰, श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा, स॰वि॰स॰, श्री कृष्णा प्रसाद, स॰वि॰स॰, एवं श्री